कम्प्यू0 संख्या 0809043

पत्र संख्या-ज्वा0कमि0(वि0अनु0शा0)मु-33-स0प0/आयरन एंड स्टील/ 1056 /वाणिज्यकर

कार्यालय कमिश्नर,वाणिज्यकर,उत्तर प्रदेश

(वि0अनु0शा0 अनुभाग)

दिनॉक:: लखनऊ :: 10 जुलाई ,2008

समस्त डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर/

व्यापारकर अधिकारी, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश व्यापारकर अधिनियम की धारा 8-C(3-A) एवं विज्ञप्ति संख्या वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग-2-8410/दस-9(194) दिनॉक 31-3-86 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के बाहर से ट्रेडिंग हेतु आयरन एंड स्टील का आयात करने वाले दिनॉक 31-3-01 के पश्चात पंजीकृत व्यापारियों के लिये राजस्व हित में उनके द्वारा आयात के लिये घोषणापत्र की मॉग करने पर धारा 8-C(3-A) के अन्तर्गत नगद जमानत जमा कराने के बाद आयात घोषणापत्र जारी किये जाने के निर्देश विषयक मुख्यालय के परिपत्र संख्या ज्वा0कमि0(वि0 नु0शा0)मु-33/05-06/4847/व्यापारकर दिनॉक 20-1-2006 का संदर्भ ग्रहण करें ।उक्त परिपत्र में आयरन एंड स्टील को प्रचलित थोक बाजार भाव के आधार पर 04 श्रेणियों मे विभाजित करते हुये अलग-अलग जमानत की राशि निर्धारित की गयी थी ।

वर्तमान में आयरन एंड स्टील के सभी संवर्गो के मूल्यों में भारी बढ़ोत्तरी हुई है जिसे देखते हुये उक्त परिपत्र को राजस्व हित में संशोधित किया जाना आवश्यक पाया गया । विभिन्न राष्ट्रीय समाचारपत्रों एवं अन्य श्रोतो से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर वर्तमान मे ंप्रथम श्रेणी में वर्गीकृत पिग आयरन,स्पन्ज आयरन,कास्ट आयरन एवं विभिन्न प्रकार के आयरन स्क्रैप का प्रति टन औसत थोक मूल्य रु0 22,000/- ,द्वितीय श्रेणी में वर्गीकृत इंगट,ब्लूम,बिलेट स्लेब,स्टील समीज का प्रति टन औसत थोक मूल्य रु0 32,000/- , तृतीय श्रेंणी में वर्गीकृत स्टील बार (राउण्ड, राड,स्क्वायर,फ्लेट, आक्टागन,हेक्सागन,प्लेन एंड रिब्ड अथवा टि्वस्टेड),एंगिल,ज्वायस्ट,चैनल,टीज एवं जेड सेक्शन का प्रति टन औसत थोक मूल्य रु0 40,000/- एवं चतुर्थ श्रेणी में वर्गीकृत वायर,स्टील ट्यूब,शीट्स, स्ट्रिप्स (ब्लैक एंड गैलवेनाइज्ड,हाट एंड कोल्ड रोल्स,प्लेन अथवा कारोगेटेड) एवं अन्य प्रकार के केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा 14 में वर्णित आयरन एंड स्टील जिसमें टूल,एलाय एवं स्पेशल स्टील,व्हील्स एवं एक्सेल शामिल नहीं है, का प्रति टन औसत थोक मूल्य रु0 60,000/- होने की जानकारी मिली है ।

अत: उ0प्र0 मूल्य सम्वर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा 19(3) के अन्तर्गत यह आदेश दिया जाता है कि आयरन एंड स्टील के ट्रेडर्स द्वारा प्रान्त बाहर से उपरोक्त श्रेणियें के आयरन एंड स्टील के आयात के लिये आयात घोषणापत्र की मॉग करने पर निम्न प्रकार जमानत जमा कराने के बाद आयात घोषणापत्र जारी किये जायें:-

1-	पिग आयरन,स्पन्ज आयरन,कास्ट आयरन एवं विभिन्न प्रकार के आयरन स्क्रैप	900/- प्रति मी0टन

2-	इंगट,ब्लूम,बिलेट,स्लेब,स्टील समीज	1400/- प्रति मी0टन
3-	स्टील बार (राउण्ड,राड,स्क्वायर,फ्लेट,आक्टागन, हेक्सागन,प्लेन एंड रिब्ड अथवा ट्विस्टेड),एंगिल, ज्वायस्ट,चैनल,टीज,जेड सेक्शन	1600/- प्रति मी0टन
4-	वायर,स्टील ट्यूब्स,शीट्स एवं स्ट्रिप्स (ब्लैक एंड गैलवेनाइज्ड,हाट एंड कोल्ड रोल्ड, प्लेन अथवा कारोगेटेड) एवं अन्य प्रकार के केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा 14 में वर्णित आयरन एंड स्टील जिसमें टूल,एलाय एवं स्पेशल स्टील,व्हील्स एवं एक्सेल शामिल नहीं है।	2400/- प्रति मी0टन

यह आदेश दिनॉक 15-7-08 से प्रभावी होगा। पूर्व में जारी मुख्यालय का परिपत्र संख्या 4847 दिनॉक 20-1-2006 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।परिपत्र संख्या 4847 दिनॉक 20-1-06 एवं इस सम्बन्ध में जारी अन्य परिपत्रों में अंकित शेष निर्देश यथावत् लागू रहेंगे।

(दीपक कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

पृष्ठॉकन पत्र संख्या व दिनॉक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव,कर एवं निबन्धन,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ।
2- समस्त जोनल एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्यकर,उत्तर प्रदेश।
3- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/प्र0)/कार्यपालक/अपील/उ0न्या0कार्य/सर्वोच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्यकर,उत्तर प्रदेश।
4- समस्त अनुभाग प्रभारी,वाणिज्यकर,मुख्यालय।
5- मैनुअल/विधि/जनसम्पर्क /कम्प्यूटर/चे0पो0/फार्म अनुभाग को 5/5/10/5/25 प्रतियॉ अतिरिक्त
6- अधिशासी निदेशक ,उद्योग बन्धु,सी-15,माल एवेन्यू,लखनऊ।
7- श्री बनवारी लाल कन्छल,अध्यक्ष,उ0प्र0उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल,कन्छल कुंज,66, शास्त्री नगर,लखनऊ।
8- श्री श्याम बिहारी मिश्रा,पूर्व अध्यक्ष,उद्योग व्यापार मण्डल प्रतिनिधि मण्डल,शास्त्री नगर, लखनऊ।
9- श्री संदीप बन्सल,अध्यक्ष ,उ0प्र0युवा उद्योग,व्यापारमण्डल,ऐशबाग रोड,लखनऊ

10- इंडियन एंड एसोसियेशन,1-ला प्लास,शाहनजफ रोड,लखनऊ।

11- मर्चेन्ट चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडि0-2/122,विजय खण्ड,गोमती नगर,लखनऊ।

12- मर्चेन्ट चैम्बर आफ कामर्स ,14/26,सिविल लाइन्स,कानपुर।

13- पी0एच0डी0 चैम्बर आफ कामर्स , 1 ला प्लास,शाहनजफ रोड,लखनऊ।

14- अवध चैम्बर आफ कामर्स इंडि0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इंड0,ऐशबाग रोड,लखनऊ।

15- आल इंडिया मैन्यु0 ार्गेनाइजेशन,डी-4,साइट नं0-3,मेरठ रोड,इंड0एरिया,गाजियाबाद।

16- कन्फेडेरेशन आफ इंडियन इंड0,सी-170,निराला नगर,लखनऊ।

17- राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों/संभागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बन्धित संभागीय डिप्टी कमिश्नर(कार्य0)के माध्यम से।

18- प्रदेश प्रमुख ,लघु उद्योग भारतीय,10-इंजीनियर्स काम्प्लेक्स,सुल्तानपुर रोड,रायबरेली।

19- श्री बी0एन0राय,एडवोकेट,अध्यक्ष ,दि यू0पी0टैक्सेसन बार एसोसियेशन ,45-चन्द्रिका कालोनी,सिगरा ,वाराणसी।

20- श्री शिव कुमार अरोरा,एडवोकेट,महामंत्री,दि यू0पी0 टैक्सेसन बार एसोसियेशन,यमुना बिहार एस0एस0कालेज रोड,खतौली,जिला मुजफ्फरनगर।

21- श्री मदन मोहन भरतिया,एडवोकेट,26/103,बिरहाना रोड,कानपुर।

22- प्रो0 डा0जी0पी0वर्मा,डीन,फैकल्टी आफ ला,बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी,वाराणसी।

23- प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़,15-टैगोर टाउन,इलाहाबाद।

24- श्री अरविन्द कुमार गुप्ता,एडवोकेट/महासचिव,यू0पी0टैक्स बार एसोसियेशन,235,सीताराम आजमगढ़ सिटी,आजमगढ़।

25- श्री आर0डी0गुप्ता,एडवोकेट,स्टैन्डिंग काउन्सिल,12-आकाशपुरी कालोनी,इलाहाबाद।

(के0पी0पाण्डेय)
ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0)वाणिज्यकर,
मुख्यालय,लखनऊ।